मध्य प्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल दिनांक 9-11-16

क्रमांक एफ 44-15/2010/20-2 शालाओं में शिक्षकों की कमी/अनुपस्थिति/अवकाश पर जाने से शाला में दर्ज छात्रों का पठन पाठन प्रभावित होता है। राज्य शासन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्ध है। इस समस्या के समाधान के लिये शाला स्तर पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु राज्य शासन के पूर्व आदेश दिनांक 23.11.2010 एवं आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्र. राशिके/मॉनिट/2013/4492 दिनांक 17.6.2013 को अधिक्रमित करते हुये निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है।

1. सर्वप्रथम मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार एफ-44/4/2014/20-2/711 दिनाक 19-05-2015 एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक शालाओं में उपलब्ध शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुसार उच्च कक्षाओं के विषय के अध्यापन हेतु व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था के करने पश्चात ही शेष रिक्त पद के लिये अतिथि शिक्षक को रखा जाए। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण के संम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार रिक्त पदो पर पदस्थापना की कार्यवाही पूर्ण की जाए। युक्तियुक्तकरण के उपरांत रिक्त स्थान पर शिक्षक की व्यवस्था होने पर शाला में रखे गये अतिथि शिक्षक को तत्काल हटाया जाए।

2. अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन

किसी भी स्तर की शाला में अतिथि शिक्षकों को निम्न कारणों से रखा जा सकेगा.-

2.1 शाला में स्वीकृत पद के विरूद्ध पद रिक्त रहने पर।

2.2 किसी शिक्षक/शिक्षिका के न्यूनतम 15 दिवस या उससे अधिक के मेडिकल/अर्जित/अन्य स्वीकृत अवकाश पर रहने की स्थिति में।

2.3 शिक्षिका के प्रसूति अवकाश पर होने पर / शिक्षक के पितृत्व अवकाश पर होने पर

2.4 शासन/विभागीय अनुमति से डी.एड./बी.एड./एम.एड. प्रशिक्षण में शिक्षक के जाने पर।

2.5 नवीन हाईस्कूल/उ.मा.वि जहां शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई है।

3. **संस्था की पदसंरचना के अनुसार आवश्यकता आकलन :-** विभिन्न स्तर की संस्थाओं में उस शाला के लिये स्वीकृत पद संरचना के अनुसार आवश्यकता का आकलन किया जायेगा।

3.1 <u>उ.मा.वि (कक्षा 9-12) अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था</u> :- म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 27-2/2013/20-2 दिनांक 11.3.13 के अनुसार उ.मा.वि (कक्षा 9-12 तक के अध्यापन के लिए) के लिए निम्नानुसार पद संरचना निर्धारित की गयी है

क्र.	समूह/संकाय	संविदा-1/वरि.अध्यापक/व्याख्याता
अनिवार्य		
1	भाषा	1. हिन्दी, 2. अंग्रेज़ी, 3. संस्कृत/उर्दू
2	सामा.विज्ञान	1. इतिहास/राजनीति
वैकल्पिक संकाय वार (विद्यालय में संकाय के संचालन के अनुसार)		
3	विज्ञान	1. भौतिक, 2. रसायन, 3. गणित, 4. जीवविज्ञान
4	कला	1. क्र.-2 पर इतिहास के संविदा-1/वरि.अध्यापक/व्याख्याता की उपलब्धता होने पर राजनीति अथवा राजनीति की उपलब्धता होने पर इतिहास/समाजशास्त्र। 2. भूगोल/अर्थशास्त्र
5	वाणिज्य/कृषि/गृह विज्ञान	वाणिज्य/कृषि/गृहविज्ञान स्वीकृत होने पर पृथक से विषय विशेष के दो पद स्वीकृत होंगे।

उ.मा.वि (कक्षा 9-12) अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे :-

3.1.1 संचालित संकाय के अनुसार ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के स्वीकृत पद के विरुद्ध सम्बंधित विषय का पद रिक्त होने पर अतिथि शिक्षक रखे जावे।

3.1.2 पद संरचना में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 का पद स्वीकृत है, अत: संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जावे।

3.1.3 पेरा-3.1.2 के अनुसार न्यूनतम दो बार विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात भी यदि संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की उपलब्धता नहीं होती है, तो ही संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के अतिथि शिक्षक को अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए रखा जा सकता है।

3.1.4 उ.मा.वि. में नामांकन अधिक होने के फलस्वरुप अतिरिक्त वर्ग निर्मित होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 27-2/2013/20-2 दिनांक 11.3.13 में उल्लेखित मापदण्ड (नामांकन के स्थान पर औसत उपस्थिति लिया जावे) के अनुसार चालू सत्र के लिये अतिथि शिक्षक रखने के लिए समुचित प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में संचालनालय को प्रेषित करेंगे। संचालनालय द्वारा पद स्वीकृत करने पर ही अतिथि शिक्षक रखे जा सकेंगे।

3.1.5 जिन विद्यालयों में खेल/संगीत एवं प्रयोगशाला शिक्षक के पद पूर्व से स्वीकृत है, उनमें संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाएं।

3.2 <u>हाईस्कूल हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था</u> - म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र.एफ 27-2/2013/20-2 दिनांक 11.3.2013 के अनुसार हाईस्कूल के लिए निम्नानुसार पद संरचना निर्धारित की गयी है

क्र	समूह	संविदा-1/वरि.अध्यापक/व्याख्याता
1	कला	1. हिन्दी, 2.अंग्रेजी, 3. संस्कृत/उर्दू
2	अन्य	4. गणित, 5.विज्ञान, 6. सामाजिक विज्ञान

हाईस्कूल हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें

3.2.1 वर्ष 2012-13 के पूर्व के प्रोन्नत हाईस्कूल में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 2012-13 से प्रोन्नत हाईस्कूल में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के पद स्वीकृत किये गये हैं। एकरूपता तथा स्थानीय स्तर पर विषय के अतिथि शिक्षकों की उपलब्धता की दृष्टि से समस्त हाईस्कूल में सम्बन्धित विषय के रिक्त पद पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षक रखे जाएं।

3.2.2 हाईस्कूल में नामांकन अधिक होने के फलस्वरुप अतिरिक्त वर्ग निर्मित होने की स्थिति बिंदु क्र 3.1.4 की भांति कार्यवाही की जाए।

3.2.3 जिन विद्यालयों में प्रयोगशाला शिक्षक के पद पूर्व से स्वीकृत है, उनमें संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 विज्ञान के विरुद्ध अतिथि शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक के कार्य हेतु रखे जाएं।

3.3 <u>प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था</u> -

3.3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के नियम, 2011 के नियम 17 (2) मे किए गए प्रावधानो के अनुसार विद्यालय वार रिक्त पदों की गणना छात्र नामांकन के आधार पर की जाती है। समग्र शिक्षा पोर्टल में वर्ष 2016-17 के नामांकन के विरुद्ध विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति के आधार पर (यदि वर्तमान में समग्र शिक्षा पोर्टल मे वर्ष 2016-17 का नामांकन दर्ज नही हुआ हो, तब तक DISE 2015-16 के नामांकन के आधार पर) अतिथि शिक्षको की संख्या का आकलन किया जाए। इसके उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी जिले में कुल स्वीकृत पदों की सीमा के विरुद्ध विद्यालयवार रिक्त पद पर अतिथि शिक्षक रखे जाने की अनुमति संस्था प्रमुख को देंगे। बिना जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति के अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाए। किसी भी स्थिति में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाए अन्यथा सम्बंधित आहरण संवितरण अधिकारी वित्तीय अनियमितता के दोषी होंगे। आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

3.3.2 प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में रिक्त पदों की गणना करते समय प्रधानाध्यापक को अन्य शिक्षकों की भाँति शाला में कार्यरत कुल शिक्षकों की संख्या में जोड़ा जाए। माध्यमिक शाला में कार्यरत प्रधानाध्यापक जिस विषय में स्नातक है, उस विषय समूह के पद को भरा माना जाएगा।

3.4 आवासीय खेलकूद विद्यालय तथा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पद पर उनकी निर्धारित योग्यता के अनुसार रखा जाए।

4. अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता

4.1 अतिथि शिक्षक के लिये उन्ही व्यक्तियों को विचार में लिया जाएगा जिनके पास म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियम 2005 में अद्यतन संशोधन अनुसार विहित की गयी शैक्षणिक योग्यतायें हो। प्रशिक्षित आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ही अप्रशिक्षित आवेदक को संज्ञान में लिया जाएगा।

5. अतिथि शिक्षक का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया

5.1 बिन्दु 3.1 से 3.3.2 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार शालावार तथा विषयवार रिक्त पदों का आकलन किया जावे।

5.2 शाला, संकुल, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के सूचना पटल पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों को प्रदर्शित किया जाए।

5.3 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर रिक्तियों की जानकारी प्रदर्शित की जाएं ताकि विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्तियों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग द्वारा रिक्तियों की संख्या का उल्लेख करते हुये विज्ञापन भी जारी किया जाये।

5.4 इच्छुक अभ्यर्थी शाला के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को आवेदन प्रस्तुत करेगें।

5.5 माध्यमिक स्तर तक शाला प्रबन्ध समिति तथा हाईस्कूल/हायरसैकेण्डरी के लिये पालक शिक्षक संघ के अनुमोदन से पैनल तैयार किया जाए।

5.6 पैनल में वरीयताक्रम निम्नानुसार होगा:-

5.6.1 <u>प्रथम वरीयता</u> सर्वप्रथम सेवानिवृत्त एवं प्रशिक्षित (डी.एड./बी.एड.) शिक्षको को अधिकतम 65 वर्ष की उम्र की सीमा तक अवसर दिया जाये। सेवानिवृत्त शिक्षक की "सेवा अवधि में कार्य संतोषप्रद रहा है" इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए, जो कि सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा जारी किया गया हो। सेवानिवृत्त शिक्षको को बिन्दु-6 के अनुसार ही मानदेय देय होगा।

5.6.2 <u>द्वितीय वरीयता</u> म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियम-2005 में अद्यतन संशोधन अनुसार विहित की गयी शैक्षणिक योग्यता यथा संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के विरुद्ध रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक के लिये हायर सेकेण्डरी के साथ डी.एड./डी.एस.ई./बी.टी.सी.। संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के विरुद्ध रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक के लिये सम्बंधित विषय में स्नातक के साथ डी.एड./बी.एड., संविदा शाला शिक्षक वर्ग-1 के विरुद्ध रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक के लिये सम्बंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ बी.एड.।

5.6.3 <u>तृतीय वरीयता</u> उपरोक्तानुसार दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में शाला के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उनके द्वारा व्यापक प्रचार करने के पश्चात भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुये है। संस्था प्रमुख द्वारा ऐसे प्रकरणों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अभ्यार्थियों की वरीयता सूची सम्बन्धित पद के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाए।

5.6.4 उपरोक्तानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रत्येक शाला का एक पैनल तैयार किया जावेगा।

5.6.5 शालावार अतिथि शिक्षकों के पैनल की सूची को सार्वजनिक किया जाए। पैनल को शाला, ग्रामपंचायत तथा संकुल शाला के सूचना पटल पर लगाया जाए। पैनल की सूचना विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसे एजुकेशन पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाये।

5.6.6 शाला प्रबन्ध समिति/पालक शिक्षक संघ के सचिव की हैसियत से संस्था प्रमुख द्वारा पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों को गुणानुक्रम के अनुसार अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाए। कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया जायेगा।

5.6.7 शाला प्रबन्ध समिति/पालक शिक्षक संघ की राय में अभ्यर्थी शिक्षण कार्य हेतु स्वस्थ नहीं है, तो वे आवेदक से स्वास्थ्य जांच प्रमाणपत्र की मांग कर सकेंगे एवं प्रमाण पत्र न दे पाने की स्थिति में पैनल में से अगले आवेदक को आमंत्रित किया जाए।

5.6.8 शाला प्रबन्ध समिति/पालक शिक्षक संघ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि शाला में रखे जाने वाले अतिथि शिक्षक का आचरण शिक्षक के अनुरूप हो।

5.6.9 शाला द्वारा अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र लिया जाए, कि सम्बन्धित के द्वारा किसी अन्य संस्था में अतिथि शिक्षक के रुप में कार्य नहीं किया जा रहा है।

6. अतिथि शिक्षक का मानदेय

शाला	अतिथि शिक्षक	मानदेय राशि
प्राथमिक शाला	वर्ग-3 के विरुद्ध	रु. 100/- प्रति उपस्थिति दिवस
खेल/संगीत शिक्षक उ.मावि	वर्ग-3 के विरुद्ध	रु. 100/- प्रति उपस्थिति दिवस
प्रयोगशाला शिक्षक (हाईस्कूल/उमावि)	वर्ग-3 के विरुद्ध	रु. 100/- प्रति उपस्थिति दिवस
माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल	वर्ग-2 के विरुद्ध	रु. 150/- प्रति उपस्थिति दिवस
हायर सैकेण्डरी	वर्ग-1 के विरुद्ध	रु. 180/- प्रति उपस्थिति दिवस

7. अतिथि शिक्षकों के मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया

7.1 [illegible] में स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद के लिये अतिथि शिक्षकों का मानदेय [illegible] किया जा सकेगा।

7.2 15 दिवस या उससे अधिक अवधि के अवकाश अथवा डी.एड/बी.एड./एम.एड प्रशिक्षण में जाने के कारण शिक्षक का अध्यापन के लिये उपस्थित न होने की स्थिति में पोर्टल से वेतन तैयार करते समय डी.डी.ओ. द्वारा रिमार्क कॉलम में अतिथि शिक्षक को रखे जाने का कारण अंकित करते हुये ही मानदेय आहरित किया जाना संभव होगा तदनुसार व्यवस्था एजूकेशन पोर्टल के अतिथि शिक्षक मॉड्यूल में की जा रही है।

7.3 विद्यालय में रखे गये अतिथि शिक्षक का रजिस्ट्रेशन एजूकेशन पोर्टल में किया जावेगा, रजिस्ट्रेशन में सम्बन्धित के नाम,शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर, आधार लिंक्ड बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि की जाएगी।

7.4 मानदेय भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा।

7.5 संचालनालय लोक शिक्षण के पत्र क्र./बजट/वेतन व्यवस्था/2015-16/183 दिनांक 28.7.16 में दिये गये निर्देशों के अनुसार मानदेय आहरण निर्धारित मद से ही किया जाए।

8. अन्य

8.1 अतिथि अध्यापन व्यवस्था तात्कालिक एवं अस्थायी स्वरुप की है, ये किसी पद के विरुद्ध नियुक्ति नहीं है। अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा किये गये कार्य के लिये मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई पात्रता नहीं होगी।

8.2 संस्था प्रमुख द्वारा समय-समय पर अतिथि शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा और अध्यापन कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अतिथि शिक्षक को आगे अध्यापन कार्य हेतु नहीं बुलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में शाला प्रबन्ध समिति/पालक शिक्षक संघ द्वारा पैनल में सम्मिलित अगले व्यक्ति को अध्यापन के लिये आमंत्रित किया जाएगा।

8.3 अतिथि शिक्षक का पैनल केवल एक अकादमिक सत्र के लिये मान्य होगा।

8.4 सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा "अंतिम वेतन माइनस पेंशन" की मांग नहीं की जाएगी। बिन्दु-6 में उल्लेखित दर के अनुसार ही मानदेय देय होगा।

8.5 किसी भी जिले में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षको को रखे जाने या मानदेय भुगतान की स्थिति निर्मित होती है तो सम्बंधित संस्था प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इन निर्देशों के विरुद्ध यदि किसी भी अतिथि शिक्षक का मानदेय आहरित किया जाता है, तो सम्बंधित आहरण संवितरण अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

उपसचिव 7/11/16

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल दिनांक 9-11-16

प्र.क्र./44-15/2010/20-2

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन आदिम जाति/अनुसूचित जाति/नगरीय प्रशासन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास/जिलापरियोजना समन्वयक ।
9. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी/बी.आर.सी.सी जनपट शिक्षा केन्द्र।

उपसचिव 7/11/16

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग